विविध बैंक प्रकरण सं. 14 /2021 एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) कार्यालय 25–ए रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता जरिये – प्राधिकृत अधिकारी श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार बनाम 1.साहिल गोयल पुत्र हरमेश कुमार 2. हमिता रानी पत्नी हरमेश कुमार 3. हरमेश कुमार पुत्र हेमराज निवासीगण 89 बी ब्लॉक, वार्ड नं. 6 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर –335073

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार महेन्दीरता अभिभाषक उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई और अप्रार्थी ऋणी के अधिवक्ता श्री राजन कुक्कड़ बहस के समय उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार महेन्दीरता का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 15.02.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी अप्रार्थी 1. साहिल गोयल 2. हमिता रानी 3. हरमेश कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 27.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये सत्ताईस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 30.04.2018 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी हमिता रानी की सम्पत्ति प्लॉट नं 89 बी ब्लॉक(1166.00 वर्गफीट), वार्ड नं. 06, करणपुर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया जिस कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक [illegible].2020 को अनर्जक आस्तिपत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

09.02.2021 को कुल 33,46,063/— रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है। अप्रार्थीगण ऋणियों एवं जमानतदारों को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 11.06.2020 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया एवं अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का नोटिस उसके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी हमिता रानी की उक्त अचल सम्पति प्लॉट नं 89 बी ब्लॉक(1166.00 वर्गफीट), वार्ड नं. 06, करणपुर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण ऋणियों के अधिवक्ता ने दिनांक 01.11.2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया और निवेदन किया कि अप्रार्थीगण साहिल गोयल हमिता रानी एवं हरमेश कुमार ने उन्हें अभिभाषक नियुक्त किया है लेकिन आज प्रार्थीगण उपस्थित नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें वकालतनामा पेश करने के लिए अवसर दिया जावे। अप्रार्थी साहिल गोयल के अधिवक्ता ने दिनांक 02.03.2022 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी साहिल गोयल के प्रार्थना पत्रों क्रमशः दिनांक 02.03.2022, 09.03.2022 एवं 04.04.2022 में प्रार्थना की है कि उक्त प्रार्थना पत्रों में ऋणी द्वारा की गई आपत्तियों के आधार पर बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत की जा रही कार्यवाही पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी ऋणियों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के विरोध में प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन किया कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणियों को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं, इसलिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियों पर इस न्यायालय को विचार करने की कोई अधिकारिता नही है और न ही इस न्यायालय को किसी प्रकार से किसी के अधिकारों को तय करने की अधिकारिता है, और न ही किसी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने की अधिकारिता है, इसलिए अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता।

उनका आगे यह भी कथन था कि साहिल गोयल ने कभी भी प्रार्थी बैंक से संपर्क नहीं किया, ना ही कोई दस्तावेज मांग की, ना ही कोई ऐतराज पेश किया। साहिल गोयल व उसकी माता हमिता रानी द्वारा एक सिविल दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) श्रीगंगानगर के यहां पेश किया गया जो स्थानानतरित होकर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या के यहां सुनवाई किया गया। प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 14 की प्रति व अन्य दस्तावेज पेश किये गये थे। सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया गया है और साहिल गोयल आदि का दावा दिनांक 18.08.2021 को खारिज कर दिया गया था। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में धारा 14 के प्रार्थना पत्र में अंकित बंधक रखी गई सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पुलिस के माध्यम से प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे।

उनका आगे यह भी कथन था कि यदि अप्रार्थी फर्म को धारा 14 के तहत बैंक द्वारा की जा रही कार्यवाही से कोई आपत्ति हो तो वह सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष कार्यवाई कर सक[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक [illegible] तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र, अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों तथा पत्रावली में

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी 1.साहिल गोयल 2.हमिता रानी 3.हरमेश कुमार को दिनांक 30.04.2018 को ऋण सुविधा के रूप में 27,00,000/– (अखरे रूपये सत्ताईस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी हमिता रानी द्वारा अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं 89 बी ब्लॉक(1166.00 वर्गफीट), वार्ड नं. 06, करणपुर, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 10.02.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 11.06.2020 को जारी कर दिनांक 13.06.2020 को पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाये गये। अप्रार्थी साहिल गोयल के नाम की प्राप्ति एडी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, परन्तु उस पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होना प्रतीत होता है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी ऋणियों के निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों राजदूत बीकानेर एवं इण्डियन एक्सप्रसैस में दिनांक 28.08.2020 को प्रकशन भी करवाया है, जिसकी प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है। चूंकि धारा 13(2) का जारी नोटिस दिनांक 11.06.2020 की तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त ऋणी द्वारा बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश प्रार्थी बैंक ने चाहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी ऋणी द्वारा स्वतः की उपस्थित आकर प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध अपने उक्त विभिन्न प्रार्थना पत्रों में जो आपत्तियां की है, उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संदर्भ में 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य के पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:—

> 14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.
>
> 15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision o Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.
>
> 16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.
>
> 17. In view of the above [illegible]ions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed. There Shall be no order as to costs.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नही है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 02.03.2022, 09.03.2022 एवं 04.04.2022 में गई आपत्तियों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता और एआईआर 2012 गुजरात 90 के अनुसार भी किसी के अधिकारों को तय करने का कोई अधिकार नही है और एआईआर 2011 बॉम्बे 32 के अनुसार भी किसी भी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने का इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2022, 09.03.2022 एवं 04.04.2022 विचार योग्य नहीं है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में हमिता रानी की बंधक रखी गयी अचल सम्पति प्लॉट नं 89 बी ब्लॉक(1166.00 [illegible]) वार्ड नं. 06, करणपुर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है। उक्त [illegible] सम्पत्तियां जिनका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाही जा रही है [illegible] श्रीगंगानगर में है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.06.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 11.06.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी 1.साहिल गोयल 2 हमिता रानी एवं 3. हरमेश कुमार के नाम से दिनांक 13.06.2020 को जारी रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है और प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थीण ऋणी साहिल गोयल की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिस पर अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है और शेष अप्रार्थी ऋणियों की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों के निवास स्थान पर धारा 13 (2) का नोटिस चस्पा कर दो समाचार पत्रों राजदूत बीकनेर एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 28.08.2020 को प्रकाशन करवाया है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण नोटिस प्राप्त हो चुके है इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील माना जाना उचित है और प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों ने नोटिस का कोई जवाब प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी हमिता रानी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई गई सम्पत्ति प्लॉट नं 89 [illegible] क्षेत्रफल([illegible].00 वर्गफीट), वार्ड नं. 06, करणपुर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested